कार्यालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं इन्सीडेन्ट कमॉडर सूरजपुर, जिला–सूरजपुर

आदेश

सूरजपुर दिनांक 11.05.2020

क्रमांक 825/वाचक–3/2020 :: गृह मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 40–3/2020–डी एम–1(ए), दिनांक 01.05.2020 के पैरा–10 एवं छत्तीसगढ शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय नया रायपुर के पत्र क्रमांक 218/स.सा.प्र.वि./2020 नया रायपुर अटल नगर दिनांक–03.05.2020 के पैरा–6 में दिये निर्देश अनुसार स्थानीय परिस्थति को दृष्टिगत रखते हुए अनुविभाग सूरजपुर अंतर्गत सम्पूर्ण शहरी क्षेत्र में आगामी आदेश पर्यन्त तक आवश्यक वस्तुओं/अनुमति प्राप्त गतिविधियों को निम्नानुसार समय–सीमा एवं शर्तो के अधीन संचालित करने हेतु आदेशित किया जाता है –

क्रमांक	दुकानों का विवरण	दुकान खुलने का दिन एवं समय
1.	मोबाईल, कम्प्युटर, आई टी संबंधी दुकान	सोमवार, बुधवार, शुक्रवार (प्रातः 09:00 बजे से शाम 04:00 बजे तक)
2.	ज्वेलरी शॉप	
3.	रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान	
4.	वस्त्रालय एवं साड़ी की दुकान	
5.	इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रानिक्स की दुकान	
6.	शहर के अंदर (रिंग रोड़ के अतिरिक्त) के ऑटोमोबाईल शॉप/गैरेज/स्पेयर पार्ट/सायकल विक्रय एवं मरम्मत	
7.	फर्नीचर शॉप, बैग एवं अटैची की दुकान	
8.	बर्तन दुकान	
9.	मिठाई की दुकान/बेकरी (सिर्फ टेक अवे/पैकेट/पार्सल की अनुमति होगी)	प्रति दिवस (प्रातः 09:00 बजे से शाम 04:00 बजे तक)
10.	फल, सब्जी, अण्डा, मछली, मटन एवं अन्य खाद्य पदार्थो की दुकाने	
11.	किराना की दुकानें	
12.	रिंग रोड़/राष्ट्रीय राजमार्ग में आटो गैरेज/सर्विसिंग सेंटर/स्पेयर पार्टस की दुकाने (रिपेयरिंग का कार्य गैरेज के भीतर होगा)	
13.	खाद, बीज, कृषि संबंधी उपकरण की दुकाने	
14.	जूते एवं चप्पल की दुकानें (ट्रायल एवं एक्सचेंज की सुविधा नही होगी)	मंगलवार, गुरूवार (प्रातः 09:00 बजे से शाम 04:00 बजे तक)
15.	प्रिंटिंग प्रेस एवं फलैक्स प्रिंटिंग की दुकाने	
16.	चश्में की दुकान (स्थायी एवं लायसेंसी दुकाने)	
17.	बुक, स्टेश्नरी एवं मोहर की दुकान	
18.	टेलरिंग की दुकान (स्थायी रूप से बने प्रतिष्ठान)	
19.	कास्मेटिक्स एवं जनरल स्टोर	
20.	सीमेंट/सरिया/हार्डवेयर/पेंट की दुकानें	
21.	बिल्डिंग मटेरियल एवं सेनेटरी दुकान	
22.	दुध/डेयरी एवं पनीर की दुकाने	प्रति दिवस (प्रातः 09:00 से 12:00 बजे एवं शाम 05:00 से 07:00 बजे तक)

(यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा)

शर्ते –

1. समस्त दुकानदारों को उपरोक्त आदेश का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।
2. **दवाई दुकान एवं पेट्रोल पंप पूर्ववत् संचालित किये जाएगें।**
3. दो से अधिक कर्मचारी/स्टाफ वाले प्रतिष्ठानों में एक स्टाफ की ड्युटी, ग्राहकों का हाथ सेनेटाईज कराने एवं उनके बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराये जाने हेतु एवं आवश्यक रूप से लगाया जावेगा।

Scanned with CamScanner

4. समस्त दुकानदार एवं उनके स्टाफ को मास्क का उपयोग करेंगें एवं ग्राहकों को मास्क /रूमाल / गमछा उपयोग करने हेतु समझाईश देकर सुनिश्चित करेंगे।

5. समस्त दुकानदार अपने परिसर एवं आस–पास स्वच्छता का विशेष ध्यान रखेंगे।

6. समस्त दुकानदार डिजिटल प्लेटफार्म यथा मोबाईल बंकिंग, नेट बैकिंग, एन.ई.एफ.टी., भीम एप्भजैसी व्यवस्था को बढावा देने हेतु कार्य करेगे।

7. जिले में धारा–144 प्रभावशील है, जिसका पालन समस्त प्रतिष्ठानों का करना अनिवार्य होगा।

8. समस्त दुकानदारों द्वारा सामान का विक्रय एम.आर.पी. में अंकित कीमत से अधिक पर नही किया जावेगा।

9. समस्त दुकानदारों को अपने प्रतिष्ठान के सामने दुकान के खुलने का दिन एवं समय प्रदर्शित करना होगा।

10. उपरोक्त दुकानों के संचालन की अनुमति सिर्फ लायसेंस युक्त स्थायी संरचना वाले प्रतिष्ठानों को ही होगी। ठेला, गुमटी एवं सड़क किनारें अस्थायी संरचना वाले दुकानों को संचालन की अनुमति नही होगी।

11. सायं 04:00 बजे से प्रातः 09:00 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन का पालन किया जावेगा।

12. कोविड–19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देश (संलग्नक–1) का पालन करना अनिवार्य होगा अन्यथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60, भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के तहत् दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।

13. गृह मंत्रालय, भारत सरकार तथा छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग, जिला दण्डाधिकारी सूरजपुर तथा इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी शेष निर्देश यथावत रहेंगे।

14. पूर्व में अप्रभावित जिले/क्षेत्र के हॉटस्पाट/कन्टेंमेंट घोषित होने की दशा में शासन द्वारा संपूर्ण लॉकडाउन के संबंध में जारी निर्देश पूर्ववत प्रभावी होंगे तथा अतिरिक्त गतिविधियों के संचालन की अनुमति स्वतः समाप्त हो जावेगी।

11/05/2020

अनुविभागीय दण्डाधिकारी
एवं इन्सीडेन्ट कमॉडर, सूरजपुर,
जिला –सूरजपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक 825 ए/वाचक–3/2020 सूरजपुर दिनांक 11.05.2020

प्रतिलिपि –

1. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला सूरजपुर की ओर सादर सूचनार्थ ।
2. पुलिस अधीक्षक, जिला सूरजपुर की ओर सादर सूचनार्थ ।
3. समस्त तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार अनुविभाग सूरजपुर की ओर सूचनार्थ।
4. समस्त थाना एवं चौकी प्रभारी अनुविभाग सूरजपुर की ओर सूचनार्थ। **आप अपने क्षेत्र के तहसीलदार से समवन्य स्थापित कर प्रत्येक दिवस उपरोक्त आदेश का कड़ाई से पालन कराना सुनिश्चित करेंगे।**
5. अध्यक्ष, चेम्बर ऑफ कामर्स की ओर सूचनार्थ।
6. सर्व संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

11/05/2020

अनुविभागीय दण्डाधिकारी
एवं इन्सीडेन्ट कमॉडर, सूरजपुर,
जिला –सूरजपुर (छ.ग.)

Scanned with CamScanner